भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1598

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1598. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले का उत्पादन अपनी पूरी क्षमता से नहीं हो रहा है और इससे आयात को बढ़ावा मिल रहा है, यदि हां, तो कुल कोयला उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश को कोयला उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कारगर बनाने के लिए कोई विधान या संशोधन पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। वर्ष 2023-2024 में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022- 2023 में 893.191 मि.ट. की तुलना में लगभग 11.71% की वृद्धि के साथ 997.828 मिलियन टन (मि.ट.) (अनंतिम) था। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष (जून'24 तक) में, देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 223.376 मि.ट. (अनंतिम) की तुलना में लगभग 10.75% की वृद्धि के साथ 247.396 मि.ट. (अनंतिम) कोयले का उत्पादन हुआ है।

कोयले के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की हैंडहोल्डिंग के लिए परियोजना निगरानी इकाई।

v राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के साथ बहुत उदार हैं, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल मौजूद है।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मुख्यतः

सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवाल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहां कहीं संभव हो, बड़ी क्षमता वाली भूमिगत खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं को आधार प्रदान करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोयला आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

i. एसीक्यू को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा बी (viii) (ए) के प्रावधानों के तहत, विद्युत विनिमयों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से अथवा दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेशकश की गई कोयले तथा एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के

सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. सरकार ने डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करके इस्पात के नाम के साथ एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत एक नए उप-क्षेत्र के सृजन का अनुमोदन किया है। संविदा अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए चिन्हित खानों से इस्पात क्षेत्र को दीर्घावधि कोयला लिंकेज के आश्वासन के साथ नए उप-क्षेत्र के सृजन से देश में धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और देश में इस्पात उद्योग द्वारा घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में अनुमानित घरेलू कोकिंग कोयले की मांग को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2022 में सरकार द्वारा मिशन कोकिंग कोल भी लॉन्च किया गया।

v. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में 29.05.2020 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अंतर-मंत्रालयी समिति की अब तक ग्यारह बैठकें आयोजित की गई हैं। आईएमसी के निर्देशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयातों का पता लगा सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : कोयला उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए/संशोधन किए गए हैं: -

1. खनिज रियायत नियम (एमसीआर), 1960 को संशोधित किया गया है ताकि केप्टिव खान के पट्टेदार द्वारा अतिरिक्त राशि के भुगतान पर कोयला या लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति दी जा सके, जो खान से जुड़े अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के 50 प्रतिशत तक हो। कोयला अथवा लिग्नाइट की निर्धारित मात्रा की बिक्री की अनुमति से कैप्टिव पट्टेदार कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।

2. निम्नलिखित को सक्षम बनाने हेतु खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 का 13.03.2020 को अधिनियमनः

i. संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन, जिससे आबंटन के लिए कोयला ब्लॉकों की मालसूची बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ii. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम [सीएमएसपी अधिनियम] के तहत अनुसूची-II और अनुसूची- III कोयला खानों के अंत्य उपयोग का निर्णय लेने में केंद्र सरकार को लचीलापन प्रदान किया गया।
iii. जिन कंपनियों के पास भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, वे अब कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं।

तदनुसार, खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियमों में लाए गए उपरोक्त संशोधनों के मद्देनजर सीएमएसपी नियम, 2014, कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 और एमसीआर, 1960 में भी संशोधन किए गए हैं।

*****